



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2022/डी- 835

दिनांक 28.04.2022

## विज्ञप्ति / सूचना

आवेदिका द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का पट्टा जारी करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	128	बसन्त बहार सिन्धी कॉ-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. की योजना बसन्त बहार	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री मोहनदास	श्री भोजराज पुत्र श्री तीरथदास।	आवंटन पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.09.10, ऑनलाईन गुमशदगी रिपोर्ट दिनांक 10.11.2021, खोया पाया दिनांक 12.11.2021 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन, समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 16.01.1990 के आधार पर।

—sd—  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

- जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

217—  
उपायुक्त जोन-4  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा / जोन-06 / उपा. / डी- 1234

दिनांक 28/4/2022

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

  
उपायुक्त जोन-06,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।  
उपायुक्त जोन-06  
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-252  
29/4/22

**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**  
**इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर**  
**प्रारूप 13**  
**{नियम 13(2) देखिए}**

**राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत**  
संख्या.....1234..... दिनांक.....28/4/2022

**लोक सूचना**

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **लक्ष्मण डूंगरी कच्ची बस्ती गृ.नि.स.स की योजना गणेश नगर-जी** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
नाँगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर।	115	0.9611 हैक्ट.	अशोक कुमार पुत्र गोपाल हि. 1/6, राधेश्याम पुत्र गोपाल हि. 1/6, नारायणी पत्नी गोपाल हि. 1/6 बनवारी लाल पुत्र गोपाल हि. 1/6, रामबाबू पुत्र गोपाल हि. 1/6, मुन्नालाल पुत्र गोपाल हि. 1/6 जाति ब्रहामड सा.देह

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....28/4/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

  
**प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त**  
**जोन-06 जविप्रा, जयपुर।**  
उपायुक्त जोन-6  
जविप्रा, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी- 847

दिनांक 29/4/22

## विज्ञप्ति

माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जे.पी. कॉलोनी के भूखण्ड संख्या बी-137, बी-138 के नाम हस्तान्तरण हेतु निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए हैं :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	भूखण्ड का विवरण	लीजधारक का नाम
1	श्री भवर लाल	बी-137 क्षेत्रफल 86.11 व.ग.	श्री राधेश्याम पुत्र श्री लादूराम
2	श्री प्रमोद कुमार बीकावत	बी-138 क्षेत्रफल 86.11 व.ग.	

आवेदको द्वारा लीजधारक के मृत्यु प्रमाण-पत्र, हक त्याग पत्र, शपथ पत्र के आधार पर आवेदित भूखण्डों के नाम हस्तान्तरण हेतु ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि आवेदिक द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर आवेदित भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदिका के पक्ष में निष्पादित कर दी जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

*Sd*

उपायुक्त, जोन-2  
जविप्रा, जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कराकर विज्ञप्ति की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

PROR-254  
29.4.22

*04*  
उपायुक्त, जोन-2  
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष-(0141-2574768) (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 1195

दिनांक :- 28-4-22

## विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीज डीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहें।

क्र. सं.	ऑन लाई आवेदन सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	103740	177	पदमावती कॉलोनी-1	श्री सतीश अशोक भाटिया पुत्र श्री अशोक टी भाटिया	श्री शिवकुमार मूलचन्दानी पुत्र श्री हकीकतराय मूलचन्दानी	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र
2.	103335	214	पदमावती कॉलोनी-1A	श्रीमती वर्षा भटनागर, श्रीमती सुमन भटनागर एवं श्री आदर्श भटनागर	डॉ. यतेन्द्र स्वरूप भटनागर	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड
3.	102753	34	गोपालपुरा-1A	श्रीमती अनिता शर्मा पत्नी श्री मुकेश शर्मा	श्रीमती गोविन्दी देवी पत्नी श्री राम किशोर गुप्ता	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र
4.	103676	बी-27 सी	गोविन्दपुरी	श्री दीपक सिंह रावत पुत्र स्व. श्री सुखदेव सिंह	श्री सुखदेव सिंह पुत्र श्री दरवान सिंह	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र
5.	102966	91	गंगा विहार	श्री तनुज दाधीच एवं शुभम दाधीच पुत्रान् स्व. श्री गिरीश कुमार दाधीच	श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा पत्नी श्री रमेश चन्द शर्मा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र
6.	96401	ई-135	निर्माण नगर-ई	श्रीमती विमला नन्दवाना पत्नी डॉ. रमेश बोहरा	श्री रमेश दाधिया पुत्र श्री जय लाल दाधिया	समिति का साईट प्लान व रसीद गुम होने बाबत
7.	102711	753/754	देवी नगर	श्रीमती नम्रता कनोरिया व श्री विनीता गुप्ता पुत्रियान् श्री प्रकाश चन्द सुरेका	श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री चिरंजी लाल सुरेखा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-5

PRO/R-250  
28/4/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8250) : फैक्स - +91-141-2574555

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

### यू.ओ.नोट

विषय:- राजस्व ग्राम-सर, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 259 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 260 रकबा 1.8600 हेक्टेयर किता-02 रकबा 1.98 हेक्टेयर एवं ग्राम-कालीघाटी के खसरा नम्बर 742/261 रकबा 0.4600, 750/261 रकबा 0.4700 हेक्टेयर, 739/261 रकबा 2.5000 हेक्टेयर, 740/261 रकबा 1.2500 हेक्टेयर, 741/261 रकबा 1.2500 हेक्टेयर, 746/261 रकबा 1.0100 हेक्टेयर, 749/261 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 743/261 रकबा 0.4600 हेक्टेयर किता-08 रकबा 7.5000 हेक्टेयर भूमि की **रिसोर्ट प्रयोजनार्थ** 90ए की कार्यवाही हेतु जारी लोक सूचना बाबत का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचर पत्र में करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व ग्राम-सर, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 259 रकबा 0.1200 हेक्टेयर, 260 रकबा 1.8600 हेक्टेयर किता-02 रकबा 1.98 हेक्टेयर एवं ग्राम-कालीघाटी के खसरा नम्बर 742/261 रकबा 0.4600, 750/261 रकबा 0.4700 हेक्टेयर, 739/261 रकबा 2.5000 हेक्टेयर, 740/261 रकबा 1.2500 हेक्टेयर, 741/261 रकबा 1.2500 हेक्टेयर, 746/261 रकबा 1.0100 हेक्टेयर, 749/261 रकबा 0.1000 हेक्टेयर, 743/261 रकबा 0.4600 हेक्टेयर किता-08 रकबा 7.5000 हेक्टेयर भूमि की **रिसोर्ट प्रयोजनार्थ** धारा 90ए की कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम में लोक सूचना जारी की जा चुकी है। संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचर पत्र में करवाकर समाचार पत्र की प्रति जोन कार्यालय में प्रस्तुत करने का श्रम करे, ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी-4014

दिनांक:- 29/4/2022

**प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13**  
**जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

क्रमांक:- LU2012/JDA/2022-23/101719/01-4014

दिनांक:- 29/4/2022

**लोक सूचना**

मैसर्स क्यूरेसिया स्पा एण्ड रिसोर्ट्स जयपुर प्रा0 लि0 जरिये निदेशक रामकिशोर यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव एवं रामकिशोर यादव पुत्र श्री बाबूलाल यादव, निवासी-15, गिरधर मॉलोनी, खेड़ा महापुरा, सीकर रोड़, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-


जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खातेदार	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	ग्राम-सर	मैसर्स क्यूरेसिया स्पा एण्ड रिसोर्ट्स जयपुर प्रा0 लि0	259	0.1200
			260	1.8600
			<b>किता-2</b>	<b>1.9800</b>
	कालीघाटी	मैसर्स क्यूरेसिया स्पा एण्ड रिसोर्ट्स जयपुर प्रा0 लि0	742 / 261	0.4600
			750 / 261	0.4700
			739 / 261	2.5000
			740 / 261	1.2500
			741 / 261	1.2500
			746 / 261	1.0100
			749 / 261	0.1000
			743 / 261	0.4600
	रामकिशोर पुत्र बाबूलाल		<b>किता-08</b>	<b>7.5000</b>

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29/4/22 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रूपवारा गृह निर्माण सहकारी समिति की संजना गैरी सिटी के भूखण्ड संख्या 84 क्षेत्रफल 216.66 श्री शैलेन्द नारंग पुत्र स्व. श्री गुरुजीत नारंग द्वारा जोन में पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आनलाईन के माध्यम से आवेदन किया है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/खातेदार/हितधारक को आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आवेदक के पक्ष में उक्त भूखण्ड की अग्रिम कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त,  
पीआरएन (दक्षिण-प्रथम)  
जविप्रा, जयपुर।

जन सम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा.पीआरएन(दक्षिण प्रथम)/22/डी- 847  
दिनांक:-27/04/2022